



दविली के पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश

चर्चा में क्यों?

हाल ही सुप्रीम कोर्ट ने दविली के दौरान उपयोग कथि जाने वाले पटाखों पर पूरण प्रतबिंध लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे से जुड़े उद्योगों के अधिकारों तथा जनता के स्वास्थ्य के मध्य सामंजस्य बैठाने का प्रयत्न किया है।

नरिण्य से जुड़े प्रमुख बांदि

- पटाखे जलाने हेतु सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय-सीमा तय की है जो कि इस प्रकार है-
 - ◆ दविली के दिन 8 PM से 10 PM।
 - ◆ क्रसिमस और नए साल की पूर्व संध्या पर 11:55 PM से 12:30 AM।
- पेट्रोलियम और वसिफोटक सुरक्षा संगठन (PESO) द्वारा पटाखों में लथियम, आरसेनिक, लेड और पारा जैसे प्रतबिंधित रसायनों की उपस्थितिका परीक्षण किया जाएगा।
- PESO यह सुनिश्चित करेगा कि बाज़ार में केवल ऐसे पटाखे ही उपलब्ध हों जिनसे उत्पन्न शोर का डेसबिल नरिधारति डेसबिल से ज्यादा न हो।

क्यों होता है पटाखों के जलने से प्रदूषण?

- पटाखों के जलने पर उनमें उपस्थिति मैग्नीशियम और एल्युमीनियम जैसे रासायनिक लवणों के कारण चमक उत्पन्न होती है, जबकि इसमें ईंधन के रूप में गन पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नरिमाण चारकोल और सल्फर से किया जाता है।
- जब पटाखों को जलाया जाता है तो वे सभी लवण जो रंग उत्पन्न करते हैं, सीधे पीएम 2.5 और पीएम 10 में बदल जाते हैं।
- इसके अतिरिक्त, गन पाउडर में जो सल्फर मौजूद होता है वह सल्फर-डाइऑक्साइड में बदल जाता है जो कि एक विषाक्त गैस है।
- आश्चर्यजनक है कि विष 2017 में पटाखों के अधिक उपयोग के बावजूद भी दविली के दिन पछिले वर्ष की तुलना में प्रदूषण का स्तर कम रहा।
- इसका कारण यह है कि शीतल प्रदूषण का स्तर कई अन्य कारकों (जैसे- गंगा के मैदानी क्षेत्रों में धान की फसल में लगाने वाली आग, जलावन के लिये डीज़ल का उपयोग करना और ठंडा मौसम जौ प्रदूषकों के फैलाव में अवरोध उत्पन्न करता है) से भी प्रभावित होता है। ध्यातव्य है कि कारक साल-दर-साल परिवर्तित होते रहते हैं।

- पटाखों में बेरियम साल्ट के प्रयोग पर भी प्रतबिंध लगाया गया है।
- कम उत्सर्जन वाले पटाखों (ग्रीन क्रैकरस) के प्रयोग पर भी जोर दिया गया है जो PM को 30-35% तक कम कर देगा तथा नाइट्रस ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में काफी कमी लाएगा।
- ऑनलाइन इ-कॉमर्स की वेबसाइट के द्वारा पटाखों की बिक्री पर भी प्रतबिंध लगाया गया है।

पृष्ठभूमि

- 9 अक्टूबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने दविली के पहले दलिली एनसीआर इलाके में पटाखों की बिक्री को अस्थायी रूप से प्रतबिंधित कर दिया था।
- कोर्ट ने यह हवाला दिया था कि संवधान का अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) आम जनता तथा पटाखा नरिमाताओं दोनों के लिये लागू होता है। इसलिये पटाखे के देशव्यापी प्रतबिंध पर विचार करते हुए संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है।

ग्रीन क्रैकरस

- ग्रीन क्रैकरस ऐसे पटाखे हैं जिन्हें फोड़ने के पश्चात् हानिकारक रसायनों तथा गैसों का उत्सर्जन नहीं होता है। ऐसे पटाखे में हानिकारक संघटकों का प्रयोग नहीं किया जाता है जो वायु प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं।
- सेंटरल इलेक्ट्रोकेमिकल रसिरच इंस्टीट्यूट (CECRI), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, नेशनल बॉटनकिल रसिरच इंस्टीट्यूट और नेशनल केमिकल लेबोरेटरी के वैज्ञानिकों ने कुछ 'ग्रीन क्रैकरस' पटाखे, जैसे- सेफ वॉटर रलीज़र (SWAS), सेफ थर्माइट क्रैकर (STAR) तथा सेफ मनिमिल एल्युमीनियम (SAFAL) विकसित किये हैं।

नष्टिकरण

इस प्रतिबंध का प्रभावी या अप्रभावी सदिक्ष होना आगे का विषय है। परंतु पछिले साल लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद भी प्रदूषण का उच्च स्तर यह दर्शाता है कि प्रदूषण के अन्य स्रोत जैसे- वाहनों से होने वाले उत्सर्जन, उद्योगों से नकिलने वाली दूषित गैसें तथा अन्य कारकों को सरकार द्वारा नज़रंदाज किया गया है। अतः केवल पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाकर प्रदूषण के स्तर में घाटति कमी की इच्छा करना प्रासंगिक प्रतीत नहीं होता है। यह आवश्यक है कि सरकार वर्ष भर अन्य स्रोतों के माध्यम से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण करने हेतु भी इसी प्रकार के ठोस कदम उठाए।

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/sc-order-on-crackers-during-diwali>